

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-8/5** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सरदार रनवीर सिंह नारंग पुत्र स्व0 हरवंश सिंह नारंग

प्लॉट न0-10, नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **167** दिनांक **26/10/2002** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-8/5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	2.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	2.00
योग रु0					4.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	30-12-99 से 30-06-24	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	30-12-99 से 30-06-24	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					0.00
कुल योग रु.					4.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक [] /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 B-4/29 से0 22 / 2024-2025 दिनांक

श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री गंगा प्रसाद,
ग्राम-करमहवौ, पोस्ट-रावतगंज,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 220 दिनांक 07/02/2003 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या B-4/29 से0 22 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-24 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	8583.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	52147.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	31543.00
				योग रु0	92273.00

इसके अतिरिक्त 01-07-24 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1377.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1569.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	2946.00
				कुल योग रु.	95219.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-24 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-24 को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-4/36** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री उदयभान मल्ल पुत्र श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल,

मल्ल आटोमोबाइल्स, डी-21,

टी0 पी0 नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **230** दिनांक **26/02/2003** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-4/36** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1776.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	30499.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	29844.00
योग रु0					62119.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	927.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1484.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					2411.00
कुल योग रु.					64530.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-2/23** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री राम अवतार,
 एल0 आई0 जी0-29, राप्ती नगर कालोनी,
 फेज नं0-1, पोस्ट-आरोग्य मंदिर,
 गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **233** दिनांक **26/02/2003** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-2/23** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	23717.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	158129.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	70092.00
				योग रु0	251938.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3758.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3485.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	7243.00
				कुल योग रु.	259181.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
 प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
 गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-5/13** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री इनामुल्लाह पुत्र स्व0 हाफीज हमीबुल्लाह,

शाह मारुफ (हमीद मंजील)

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **259** दिनांक **28/02/2003** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-5/13** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	171.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	940.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	745.00
योग रु0					1856.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	28.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	37.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					65.00
कुल योग रु.					1921.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **A-4/2** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री रमाशंकर पासवान पुत्र स्व0 सुर्य बलि पासवान,
मुहल्ला-सरना टोला, टीचर कालोनी, पो0-कूडाघाट,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **292** दिनांक **30/07/2003** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-4/2** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	13999.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	96029.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	38084.00
				योग रु0	148112.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	2210.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1894.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	4104.00
				कुल योग रु.	152216.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **A-3/16** से0 **22** / **2024-2025**दिनांक

श्री विजय बहादुर पुत्र श्री रमा शंकर यादव

भरवलिया बुजुर्ग (सिद्धार्थनगर कालोनी)

रुस्तमपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **294** दिनांक **29/07/2003** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-3/16** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक**01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	8112.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	51684.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	26905.00
				योग रु0	86701.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1293.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1338.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	2631.00
				कुल योग रु.	89332.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एव दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र। (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2.पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **A-5/18** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री युधिष्ठिर धर दूबेपुत्र श्री पं0 एम0 डी0 दूबे,
89, आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **303** दिनांक **12/02/2004** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-5/18** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	28695.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	183567.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	94218.00
				योग रु0	306480.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	4572.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	4685.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	9257.00
				कुल योग रु.	315737.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-5/1** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सुबाष चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री राम आसरे प्रसाद जायसवाल,

कुडाघाट,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **323** दिनांक **31/03/2004** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-5/1** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	6658.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	38052.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	27387.00
				योग रु0	72097.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1076.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1362.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	2438.00
				कुल योग रु.	74535.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-4/7** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री नन्द गोपाल सिंह पुत्र स्व0 प्राणपति सिंह

निवासी-सी/46, तारा मण्डल,

रामपुर, जिला-गोरखपुर

273016

आवंटन पत्र संख्या **378** दिनांक **18/02/2005** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-4/7** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	160.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	413.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1422.00
				योग रु0	1995.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	30.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	71.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	101.00
				कुल योग रु.	2096.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक [] /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 B-4/6 से0 22 / 2024-2025 दिनांक

श्रीमती राजदेई सिंह पत्नी श्री फौजदार सिंह

ग्राम व पोस्ट—भुसवल,

जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **457** दिनांक **17/08/2005** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-4/6** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	3936.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	25450.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	12591.00
				योग रु0	41977.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	626.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	626.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	1252.00
				कुल योग रु.	43229.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **A-5/33** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री मो0 शमीम पुत्र श्री अब्दुल सत्तार,
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **460** दिनांक **17/08/2005** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-5/33** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	10831.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	65703.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	39929.00
योग रु0					116463.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1737.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1986.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					3723.00
कुल योग रु.					120186.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **A-5/35** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अवध प्रताप सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह

निवासी-78डी/5सी,

छोटा बघाड़ा,

इलाहाबाद।

आवंटन पत्र संख्या **462** दिनांक **17/08/2005** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-5/35** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	12389.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	75215.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	45596.00
				योग रु0	133200.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1987.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	2267.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	4254.00
				कुल योग रु.	137454.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-5/18** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती ममता पाठक पत्नी श्री राकेश कुमार पाठक

बोक्टा गैस प्लान्ट के पास,

पोस्ट-सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **509** दिनांक **31/03/2006** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-5/18** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	41191.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	287878.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	216274.00
				योग रु0	545343.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	8257.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	10755.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	19012.00
				कुल योग रु.	564355.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-3/11** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती सावित्री राय पत्नी श्री अनिरुद्ध राय

महेवा चौराहा, राय कालोनी,

टी0 पी0 नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **517** दिनांक **16/01/2008** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3/11** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	22928.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	260804.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	264020.00
योग रु0					547752.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	8171.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	13129.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					21300.00
कुल योग रु.					569052.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक [] /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 C-3/2 से0 22 / 2024-2025 दिनांक

श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री रामबदन यादव

थाना-सहजनवाँ चौराहा

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **518** दिनांक **16/01/2008** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3/2** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	221.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	649.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1654.00
				योग रु0	2524.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	38.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	82.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	120.00
				कुल योग रु.	2644.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-3/8** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती मधुबाला देवी पत्नी श्री रविन्द्र यादव

ग्राम—भपसा

पोस्ट—सहजनवाँ,

जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **520** दिनांक **16/01/2008** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3/8** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	47762.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	285235.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	181551.00
				योग रु0	514548.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	7676.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	9028.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	16704.00
				कुल योग रु.	531252.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-3/6** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती सुमन सिंह पत्नी श्री विनोद कुमार सिंह व श्रीमती बादामी देवी पत्नी श्री रामसांवर सिंह

कचहरी चौक,

मेन रोड, सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **521** दिनांक **16/01/2008** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3/6** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	55.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	146.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	432.00
				योग रु0	633.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	9.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	21.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	30.00
				कुल योग रु.	663.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-1/12** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती लवजारी देवी पत्नी श्री उमाशंकर सिंह

ग्राम—सिरसिया गडाई उर्फ बरगदही

पोस्ट—गुलरिया बाजार,

जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **528** दिनांक **16/01/2008** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-1/12** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	58094.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	345724.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	222274.00
योग रु0					626092.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	9340.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	11053.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					20393.00
कुल योग रु.					646485.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-5/31** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती विजय लक्ष्मी यादव पत्नी श्री राम सुमेर यादव

निवासी-ग्राम-बड़वार,

पोस्ट-कमासीन खुर्द, थाना-पनियरा,

जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या **535** दिनांक **16/01/2008** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-5/31** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा कियेजाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24**

को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	23124.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	125133.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	103660.00
योग रु0					251917.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3758.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	5155.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					8913.00
कुल योग रु.					260830.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एव दिनांक **01-07-24**

को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से

पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र।

(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-8/15** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

मैसर्स ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0

द्वारा श्री राम औतार दिनोदिया

रीजनल मैनेजर

बैंक रोड, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **537** दिनांक **16/01/2008** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-8/15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1181.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	7709.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	3705.00
				योग रु0	12595.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	188.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	184.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	372.00
				कुल योग रु.	12967.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-6/6** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती कविता पत्नी श्री अजय कुमार

ग्राम-रानीपार

पोस्ट-भरसाड़

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **543** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-6/6** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	20168.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	111778.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	87201.00
				योग रु0	219147.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3269.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	4336.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	7605.00
				कुल योग रु.	226752.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/8** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती मीनू देवी कुशवाहा पत्नी श्री छेदी लाल

अमन इंजीनियरिंग वर्क्स

ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **562** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/8** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	166690.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	994464.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	634818.00
				योग रु0	1795972.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26792.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	31567.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	58359.00
				कुल योग रु.	1854331.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-6/5** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती आशा उपाध्याय पत्नी श्री नागेन्द्र उपाध्याय

निवासी-ग्राम-परसनी कला,

माहपुर,

गाजीपुर।

आवंटन पत्र संख्या **565** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-6/5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	768.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	2332.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	39787.00
				योग रु0	42887.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	640.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1978.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	2618.00
				कुल योग रु.	45505.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-6/10** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राशि दुल्लाह पुत्र श्री अब्दुल सत्तार
ट्रांसपोर्ट नगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **569** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-6/10** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	2685.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	6988.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	42806.00
				योग रु0	52479.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	783.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	2129.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	2912.00
				कुल योग रु.	55391.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-4/5** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अखिलेश सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह

91-मोहददीपुर

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **573** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-4/5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	57286.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	364913.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	190000.00
योग रु0					612199.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	9133.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	9448.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					18581.00
कुल योग रु.					630780.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-2/5** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राम दास यादव पुत्र श्री रामपति यादव

निवासी-ग्राम-जोन्हिया

पोस्ट-भीटी रावत,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **590** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-2/5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	4.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	79.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	58.00
				योग रु0	141.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	2.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	5.00
				कुल योग रु.	146.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 C-2/14 से0 22 / 2024-2025 दिनांक

श्री चन्द्रशेखर सिंह पुत्र श्री लाल चन्द सिंह

ग्राम-हसनपुर, आई0पी0 एक्सटेन्सन,

पहाडगंज,

दिल्ली-110092

आवंटन पत्र संख्या **591** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-2/14** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	54279.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	594443.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	598000.00
				योग रु0	1246722.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	18599.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	29737.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	48336.00
				कुल योग रु.	1295058.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-2/13** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री बच्चा सिंह पुत्र श्री लाल चन्द सिंह

ग्राम-भूखण्ड संख्या बी-7/11,

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,

गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **592** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-2/13** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	164495.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1004758.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	598000.00
योग रु0					1767253.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26364.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	29737.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					56101.00
कुल योग रु.					1823354.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र। (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/27** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री हमीर पाल पुत्र श्री लाल देवेन्द्र बहादुर पाल

अपराजिता सी-178/315

दाउदपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **596** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/27** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	192523.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1227256.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	637500.00
				योग रु0	2057279.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	30691.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	31701.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	62392.00
				कुल योग रु.	2119671.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-3/16** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री गणेश कुमार पुत्र स्व0 दयाशंकर

निवासी-ग्राम-मंझरिया,

पोस्ट-घघसरा,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **597** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3/16** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	75365.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	336004.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	425250.00
				योग रु0	836619.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	12481.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	21146.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	33627.00
				कुल योग रु.	870246.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/2** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती बासमती देवी पत्नी श्री राम चन्द्र सिंह

ग्राम व पोस्ट—लखनापार,

वाया सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **598** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/2** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	145130.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	858489.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	561643.00
योग रु0					1565262.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	23351.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	27929.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					51280.00
कुल योग रु.					1616542.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-2/11** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सुधीर विश्वकर्मा पुत्र श्री बृजराज विश्वकर्मा

निवासी-भूखण्ड संख्या-21,

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **600** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-2/11** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	157531.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	992789.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	535500.00

योग रु0 **1685820.00**इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	25149.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26629.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00

योग रु0 **51778.00**कुल योग रु. **1737598.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-4/5** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती बरसाती देवी पत्नी श्री निवास

ग्राम-कालेसर

सहजनवों

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **617** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-4/5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	143368.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	900536.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	491000.00
योग रु0					1534904.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	22898.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	24416.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					47314.00
कुल योग रु.					1582218.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-2/3** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सौरभ गुप्ता पुत्र श्री देवीशरण पाल

निवासी-पिपरौली बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **620** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-2/3** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	145245.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	881034.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	535500.00
				योग रु0	1561779.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	23299.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26629.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	49928.00
				कुल योग रु.	1611707.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-2/1** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री ओम प्रकाश निषाद पुत्र श्री अदालत निषाद

ग्राम—लबदहा,

पोस्ट—कसौली

जिला—महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या **624** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-2/1** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	55746.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	308209.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	241944.00
				योग रु0	605899.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	9039.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	12031.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	21070.00
				कुल योग रु.	626969.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र। (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-4/1** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती इन्दूमति निषाद पत्नी श्री ओम प्रकाश निषाद

ग्राम-लबदहा,

पोस्ट-रसोली

जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या **625** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-4/1** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	55765.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	308383.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	241944.00
योग रु0					606092.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	9042.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	12031.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					21073.00
कुल योग रु.					627165.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-3/19** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अखिलेश सिंह पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह

निवासी-ग्राम-टिकरिया,

पोस्ट-मिनवां, सहजनवां,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **626** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-3/19** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	122966.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	678358.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	535500.00
				योग रु0	1336824.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	19943.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26629.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	46572.00
				कुल योग रु.	1383396.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-2/19** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री रमाशंकर जायसवाल पुत्र स्व0 शिव प्रसाद जायसवाल,
निवासी—ग्राम व पोस्ट—गोपलापुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **628** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-2/19** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	161.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	749.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	861.00
				योग रु0	1771.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	43.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	69.00
				कुल योग रु.	1840.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-5/14** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह

निवासी-जेमिनी रोड लाइन्स, महेवा चौक,

ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **630** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-5/14** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	86324.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	368333.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	507192.00
				योग रु0	961849.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	14349.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	25221.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	39570.00
				कुल योग रु.	1001419.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-5/7** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अखिलेश कुमार यादव पुत्र श्री खेदन सिंह

निवासी-स्वराज कैरिंग कारगो,

न्यू टी0पी0नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **632** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-5/7** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	131997.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	760511.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	535500.00
				योग रु0	1428008.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	21303.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26629.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	47932.00
				कुल योग रु.	1475940.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक [] /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-1/8** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती साधना सिंह पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह

निवासी-दीनदयाल, मकान संख्या-538,

नगर खदरा, सीतापुर रोड,

जिला-लखनऊ।

आवंटन पत्र संख्या **637** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-1/8** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	86936.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	461892.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	400151.00
योग रु0					948979.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	14157.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	19898.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					34055.00
कुल योग रु.					983034.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/23** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री सालिक सिंह

निवासी—मोहल्ला—बिलन्दपुर,

निकट—शिव मंदिर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **642** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/23** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	106411.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	529847.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	532976.00
				योग रु0	1169234.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	17443.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26503.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	43946.00
				कुल योग रु.	1213180.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-5/6** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती कलावती देवी पत्नी स्व0 रामनरेश सिंह

निवासी-ग्राम व पोस्ट-बटुलही,

जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **643** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-5/6** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	21013.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	109129.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	99777.00
				योग रु0	229919.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3430.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	4962.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	8392.00
				कुल योग रु.	238311.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-4/17** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री चन्द्र भूषण मिश्रा पुत्र स्व0 छत्रधारी मिश्र

निवासी-न्यू महेवा कालोनी,

ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **645** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-4/17** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	22.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	114.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	108.00
				योग रु0	244.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	4.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	5.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	9.00
				कुल योग रु.	253.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-5/3** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री सुमन्त सिंह

निवासी-कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कम्पनी,

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **651** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-5/3** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	92351.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	510422.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	401023.00
				योग रु0	1003796.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	14975.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	19942.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	34917.00
				कुल योग रु.	1038713.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-3/15** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री दानिस जमाल पुत्र श्री रसीदुल्लाह

निवासी-12, चिलमापुर,

तहसील-सदर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **653** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-3/15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	12277.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	25894.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	49950.00
योग रु0					88121.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1315.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	2484.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					3799.00
कुल योग रु.					91920.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-2/15** से0 **22** / **2024-2025**दिनांक

श्री सतीश चन्द जायसवाल पुत्र स्व0 राजकुमार जायसवाल

निवासी-ग्राम, पोस्ट एवं थाना-उरुवां बाजार,

तहसील-गोला, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **658** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-2/15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक**01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	12109.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	55138.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	66919.00
				योग रु0	134166.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	2001.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3328.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	5329.00
				कुल योग रु.	139495.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-3/10** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राजकुमार यादव पुत्र श्री बाल किशुन यादव

निवासी-ग्राम-मथौली, पोस्ट-विगही,

थाना-हरपुर बुदहट,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **659** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-3/10** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	144686.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	875937.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	535500.00
योग रु0					1556123.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	23214.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26629.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					49843.00
कुल योग रु.					1605966.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एव दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र। (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **A-3/8** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामकोमल

निवासी-ग्राम-भरोहिया,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **660** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-3/8** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	86502.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	437849.00
				योग रु0	524351.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	8327.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	21773.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	30100.00
				कुल योग रु.	554451.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक [] /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-4/21** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व0 पारसनाथ सिंह

निवासी-10/डब्लू द्वारा जी0एन0 शुक्ला,

साकेतनगर, रुस्तमपुर, आजादनगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **663** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-4/21** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	136410.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	800682.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	535485.00
योग रु0					1472577.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	21968.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26628.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					48596.00
कुल योग रु.					1521173.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-2/16** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सत्य प्रकाश राय पुत्र श्री रामचन्द्र राय

निवासी-बाडेपारडाडी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **664** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-2/16** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	157587.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	950120.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	585000.00
				योग रु0	1692707.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	25252.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	29090.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	54342.00
				कुल योग रु.	1747049.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-5/4** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अतुल कुमार पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश पाण्डेय

निवासी-लाल डिग्री पार्क रोड,

द्वारा सन्दीप ट्रांसपोर्ट,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **666** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-5/4** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1564.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	7619.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	8041.00
				योग रु0	17224.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	257.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	400.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	657.00
				कुल योग रु.	17881.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/20** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री धनन्जय कुमार जयसवाल पुत्र स्व0 राम फकीर जयसवाल,

निवासी-604-महेवा न्यू कालोनी,

पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **673** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/20** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा कियेजाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24**

को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	7.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	28.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	60.00
योग रु0					95.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					4.00
कुल योग रु.					99.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24**

को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से

पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र।

(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/7** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 राम नैन

निवासी-न्यू महेवा कालोनी,

पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **676** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/7** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	28.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	121.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	150.00
				योग रु0	299.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	4.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	7.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	11.00
				कुल योग रु.	310.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/28** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री विजय शंकर मल्ल पुत्र स्व0 सत्यदेव मल्ल

निवासी—मोहल्ला—गायत्री नगर,

पोस्ट—कुडाघाट,

जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **678** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/28** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	63522.00
योग रु0					63522.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1661.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	4323.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					5984.00
कुल योग रु.					69506.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/5** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राम ललित यादव पुत्र श्री रामनाथ यादव,

निवासी-ग्राम-टेकवार, पोस्ट-उनवल,

थाना-खजनी,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **680** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा कियेजाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24**

को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	71425.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	747062.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	713248.00
योग रु0					1531735.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	22957.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	35468.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					58425.00

कुल योग रु.

1590160.00एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एव दिनांक **01-07-24**

को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से

पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र।

(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-3/26** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राकेश पुत्र श्री सीताराम
निवासी-राजघाट पुरानी चुँगी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **685** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3/26** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	34122.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	129258.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	220354.00
				योग रु0	383734.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	5725.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	10957.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	16682.00
				कुल योग रु.	400416.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-3/22** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री बृज बिहारी कोहली पुत्र स्व0 मोतीरात कोहली,

निवासी-46/सी, 10-पैडलेगंज,

तहसील-सदर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **686** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3/22** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	49308.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	218869.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	599465.00
योग रु0					867642.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	12944.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	29809.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					42753.00
कुल योग रु.					910395.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-7/2** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री कृष्ण मिश्र पुत्र स्व0 महेन्द्र कुमार मिश्र

निवासी-21/38, फ़ीगंज,

आगरा।

आवंटन पत्र संख्या **689** दिनांक **11/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-7/2** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	8875.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	517537.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	526412.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	7853.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	148091.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	372263.00
				योग रु0	528207.00
				कुल योग रु.	1054619.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-3/18** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती पुष्पा उपाध्याय पत्नी श्री बागीसदत्त उपाध्याय

निवासी-मकान संख्या-442, अधियारी बाग, थाना-तिवारीपुर,

तहसील-गोरखपुर सदर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **691** दिनांक **17/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-3/18** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	144108.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	870691.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	535500.00
				योग रु0	1550299.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	23127.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	26629.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	49756.00
				कुल योग रु.	1600055.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-4/3** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राम जायसवाल पुत्र श्री कृष्णानन्द जायसवाल

निवासी-कनक स्वीट हादस के सामने गली में,

ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **692** दिनांक **17/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-4/3** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा कियेजाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24**

को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	5846.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	36410.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	20398.00
योग रु0					62654.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	935.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1014.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					1949.00
कुल योग रु.					64603.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एव दिनांक **01-07-24**

को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से

पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र।

(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-5/10** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र शाह

निवासी-कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कम्पनी,

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **693** दिनांक **17/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-5/10** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	92001.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	508486.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	399499.00
योग रु0					999986.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	14918.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	19866.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					34784.00
कुल योग रु.					1034770.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-4/7** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

मैसर्स जायसवाल ट्रांसपोर्ट द्वारा श्री अमरनाथ जायसवाल एवं

श्री मनीष जायसवाल (साझेदार), निवासी वार्ड नं. 5,

पोस्ट एवं थाना—गोला,

जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **694** दिनांक **17/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-4/7** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा कियेजाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24**

को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	7.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	22.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	82.00
				योग रु0	111.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	2.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	4.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	6.00
				कुल योग रु.	117.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24**

को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से

पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र।

(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-1/11** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राणा सिंह पुत्र श्री राम सिंह

निवासी-ट्रांसपोर्ट नगर,

(निकट बेतियाहाता)

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **697** दिनांक **17/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-1/11** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	188999.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1145872.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	697500.00
				योग रु0	2032371.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	30319.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	34684.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	65003.00
				कुल योग रु.	2097374.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-2/24** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री चन्द्रभान त्रिपाठी पुत्र स्व0 दीप नारायण त्रिपाठी,

निवासी-विवेकानन्दपुरी,

दाउदपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **702** दिनांक **17/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-2/24** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	194862.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1178906.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	722205.00
				योग रु0	2095973.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	31268.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	35913.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	67181.00
				कुल योग रु.	2163154.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **A-4/4** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती उर्मिला देवी शुक्ला पत्नी स्व0 राधेश्याम शुक्ला

निवासी—मुहल्ला—इन्दिरा नगर,

निकट चम्पा देवी पार्क,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **705** दिनांक **17/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-4/4** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा कियेजाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24**

को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	467.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	54.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1145.00
				योग रु0	1666.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	25.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	57.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	82.00
				कुल योग रु.	1748.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24**

को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से

पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र।

(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-1/5** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सत्य नारायण अग्रवाल पुत्र स्व0 लक्ष्मी नारायण

निवासी-कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कम्पनी,

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **706** दिनांक **17/02/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-1/5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	313755.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1636392.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1481340.00
				योग रु0	3431487.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	51191.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	73662.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	124853.00
				कुल योग रु.	3556340.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-3/20** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री अभिमन्यू यादव

निवासी-ग्राम-भपसा,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **712** दिनांक **31/03/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3/20** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	127789.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	706075.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	555176.00
योग रु0					1389040.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	20722.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	27607.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					48329.00
कुल योग रु.					1437369.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र। (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-4/15** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री दिनेश कुमार नायक पुत्र श्री जमुना नायक

निवासी—ग्राम व पोस्ट—पकडी दूबे, गोरखपुर एवं

श्री सुनील कुमार जायसवाल, ग्राम व पोस्ट—जानीपुर,

जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **713** दिनांक **31/03/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-4/15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	2076.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	8545.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	12576.00
				योग रु0	23197.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	346.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	625.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	971.00
				कुल योग रु.	24168.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-3/12** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री ब्रह्म कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 किशोरी लाल अग्रवाल

निवासी-303-कृष्णा टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की गली,

अलहदापुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **717** दिनांक **30/06/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-3/12** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	208494.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1241618.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	792450.00
योग रु0					2242562.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	33455.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	39406.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					72861.00
कुल योग रु.					2315423.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-1/7** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अरविन्द पाण्डेय पुत्र श्री सुशील कुमार पाण्डेय

निवासी—मोहल्ला—बिलन्दपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **721** दिनांक **30/06/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-1/7** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	180656.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	886026.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	921288.00
				योग रु0	1987970.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:—

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	29657.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	45813.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	75470.00
				कुल योग रु.	2063440.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. —यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-5/12** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री मिलिन्द माधव त्रिपाठी पुत्र श्री लक्ष्मीशंकर त्रिपाठी,

निवासी-विवेकानन्दपुरी

दाउदपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **723** दिनांक **30/06/2011** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-5/12** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	115757.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	551212.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	610435.00
				योग रु0	1277404.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	19056.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	30355.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	49411.00
				कुल योग रु.	1326815.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-1/1(F)** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री अशर्फी लाल गुप्ता पुत्र स्व0 सीताराम गुप्ता
निवासी-मियां बाजार दक्षिणी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **731** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-1/1(F)** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	205142.00
योग रु0					205142.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	3406.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	11077.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					14483.00
कुल योग रु.					219625.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-1/10** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री रमाकान्त राय पुत्र श्री दीनानाथ राय

निवासी-33-कसया रोड,

बिलन्दपुर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **733** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-1/10** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	286718.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1529662.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1312000.00
				योग रु0	3128380.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	46669.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	65242.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	111911.00
				कुल योग रु.	3240291.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/12** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री मोजीबुर रहमान पुत्र श्री मो0 नजीर

निवासी-चकरा अब्बल,

ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **746** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/12** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	263327.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1166927.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1494448.00
				योग रु0	2924702.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	43631.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	74314.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	117945.00
				कुल योग रु.	3042647.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **C-5/14** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सचिन अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायन अग्रवाल

निवासी-6-न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **747** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-5/14** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	326149.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1738367.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1494448.00
				योग रु0	3558964.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	53093.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	74314.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	127407.00
				कुल योग रु.	3686371.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-1/9** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सुधीर कुमार भगत पुत्र स्व0 राम औतार भगत

निवासी-408-सर्गफ रेजिडेन्सी, बेतियाहाता,

मुंशी प्रेमचन्द पार्क,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **751** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-1/9** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा कियेजाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24**

को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	253225.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1248217.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1283750.00
				योग रु0	2785192.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	41550.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	63837.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	105387.00
				कुल योग रु.	2890579.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24**

को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से

पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र।

(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-1/12** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री रामदरश पुत्र श्री रामधारी

निवासी-पोस्ट-डवरपार,

कौडीराम,

जिला-गोरखपुर

आवंटन पत्र संख्या **757** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-1/12** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	69590.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	144399.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	590701.00
				योग रु0	804690.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	12004.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	29374.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	41378.00
				कुल योग रु.	846068.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **CL-1** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

निवासी-भूखण्ड संख्या-21, 22,

नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **758** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CL-1** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	1958571.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	14989382.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	16743180.00
				योग रु0	33691133.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	502605.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	832584.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	1335189.00
				कुल योग रु.	35026322.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-4/17** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री विजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 हरि प्रसाद श्रीवास्तव

निवासी-नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **763** दिनांक **09/07/2014** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-4/17** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	22075.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	59411.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	256843.00
				योग रु0	338329.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	5047.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	12772.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	17819.00
				कुल योग रु.	356148.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-1/3B** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री रविन्द्र सिंह

निवासी-एच0आई0जी0-3/9,

सिद्धार्थपुरम विस्तार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **765** दिनांक **02/11/2015** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-1/3B** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	2681913.00
योग रु0					2681913.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	94676.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	307860.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					402536.00
कुल योग रु.					3084449.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **B-1/3A** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री राम कृष्ण मिश्र पुत्र स्व0 महेन्द्र कुमार मिश्र

निवासी-न्यू वाराणसी ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन,

ई-23, नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **766** दिनांक **02/11/2015** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-1/3A** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	2074984.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	10289467.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	11164365.00
				योग रु0	23528816.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	351004.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	555168.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	906172.00
				कुल योग रु.	24434988.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-3/22** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री मोहम्मद सुभान पुत्र श्री मोहम्मद सफी

निवासी-सी/116/1094, मियां बाजार दक्षिणी,

निकट एल0आई0यू0 आफिस,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **767** दिनांक **02/11/2015** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-3/22** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	5234.00
योग रु0					5234.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	1440.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	87.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					1527.00
कुल योग रु.					6761.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-7/13** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

कुमारी विजय लक्ष्मी गुप्ता पुत्री श्री राजेश कुमार गुप्ता

निवासी-198, अस्करगंज

गोरखपुर, उ0 प्र0

आवंटन पत्र संख्या **768** दिनांक **30/06/2021** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-7/13** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	4056.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	186899.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	401872.00
				योग रु0	592827.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	8844.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	92939.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	244519.00
				योग रु0	346302.00
				कुल योग रु.	939129.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-7/1** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री मनीष केडिया पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद केडिया,

निवासी-एस-705,

मंजू कुटीर, बेतियाहाता साउथ,

गोरखपुर, उ0 प्र0

आवंटन पत्र संख्या **769** दिनांक **30/06/2021** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-7/1** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	245557.00
योग रु0					245557.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	15988.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	379603.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1132016.00
योग रु0					1527607.00
कुल योग रु.					1773164.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-7/14** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री राजेन्द्र यादव

निवासी-ग्राम-भप्सा, पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **770** दिनांक **30/06/2021** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-7/14** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	5765.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	203997.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	507310.00
				योग रु0	717072.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	10697.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	103891.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	263655.00
				योग रु0	378243.00
				कुल योग रु.	1095315.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एव दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-7/15** से0 **22** / **2024-2025**दिनांक

श्री विष्णु शरण पाण्डेय पुत्र श्री देवकी नाथ पाण्डेय

निवासी-5-सी, बिलन्दपुर,

अपोजिट डी0आई0जी0 बंगला लेन,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **771** दिनांक **30/06/2021** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-7/15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक**01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					0.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	76883.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	178299.00
योग रु0					255182.00
कुल योग रु.					255182.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एव दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र। (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2.पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-7/3** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री नौशाद अहमद पुत्र श्री निसार अहमद

पता-36, हरिओम नगर,

सिविल लाइन्स,

गोरखपुर-273001, यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या **772** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-7/3** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					0.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	409.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	319510.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					319919.00
कुल योग रु.					319919.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-7/1A** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री संदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री जय भगवान शर्मा

निवासी-31-द्वारिका एन्क्लेव, राजबाग, रजनीगंधा अपार्टमेन्ट के पास,

साहिबाबाद, गाजियाबाद,

उत्तर प्रदेश-201005

आवंटन पत्र संख्या **773** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-7/1A** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	-	तक	रु0	0.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0					0.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक रु0	1372.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक रु0	446212.00
3	भूमि प्रीमियम		रु0	377909.00
योग रु0				825493.00
कुल योग रु.				825493.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24** को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें। सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति / नौ- /भू0सं0 **D-7/12** से0 **22** / **2024-2025** दिनांक

श्री दयानंद शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा

निवासी-मकान संख्या-66पी,

मोहल्ला एवं पोस्ट-जंगल सालिकराम,

गोरखपुर-273014

आवंटन पत्र संख्या **774** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-7/12** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा कियेजाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-24**

को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	0.00
2	ब्याज दिनांक	31-12-23	तक	रु0	949718.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
				योग रु0	949718.00

इसके अतिरिक्त **01-07-24** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है:-

1	दण्ड ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	21397.00
2	ब्याज दिनांक	01-01-24 से 30-06-24	तक	रु0	499645.00
3	भूमि प्रीमियम			रु0	1255976.00
				योग रु0	1777018.00
				कुल योग रु.	2726736.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-24** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-24**

को देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को चालान के माध्यम से

पंजाब नेशनल बैंक, गीडा गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000399 में जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र।

(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट 1. -यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा ! गीडा का GSTNO :09AAALG1185A1ZJ है !

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।